न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 122/2022 बउनवानी उदय सिंह गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर, स0मा(पुत्र श्री अम्बालाल गुर्जर निवासी,41 भुवनेश्वर वाटिका विस्तार डी मीनावाला सिरसी रोड़ जयपुर

GCMS No-2022/197 **on line no- 321940544338029**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1- I would like to inspect the documents and take photocopies of the documents marked by me in the file related to conversion of of khasra No. 884 in to sivai chak land and to charagaj land. The said Khasra No 884 is situated in Village machchipura , tehsil gangapur city. You are requested to kindly give a suitable date for the said inspection.

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.3()/सूकाअ/2022/1162 दिनांक 10.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.9.2022 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे पत्रांक एफ.3()सूकाअ/पोर्टल/2022/1113 दिनांक 28.9.2022 से सूचित किया जा चुका था कि चाही गयी सूचना (कन्वर्जन पत्रावली संख्या, कन्वर्जन आदेश की दिनांक व कन्वर्जन का प्रयोजन व किस आवेदक के आवेदन पर कन्वर्जन किया गया है) का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे ताकि सूचना उपलब्ध करवायी जा सके, किन्तु अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही किये जाने के कारण ना तो पत्रावली का निरीक्षण करवाया जा सकता है ओर ना ही किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवायी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बांबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को नि[illegible] से अवगत कराया जा चुका था कि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण [illegible] किया जावे किन्तु अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक पूर्ण विवरण अंकित नही किया है। [illegible] पूर्व विवरण के अभाव मे केवल मात्र ख0न0 के आधार पर अपीलान्ट [illegible] जाना [illegible] नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर